न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/423

1. गौरू आत्मज श्री बरधा जाति माली निवासी ग्राम गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. नन्दकिशोर आत्मज श्री बख्तावरा जाति खाती निवासी ग्राम गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शोजी लाल आत्मज श्री सुवा जाति मीना निवासी ग्राम गम्भीरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रूपेश श्रृंगी, श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भारत सिंह अडसेवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 08.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने प्रभारी अधिकारी कैम्प गंभीरा तहसील नैनवा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) प्रार्थी के खेत का रास्ता बहाल करने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2274 पर जाने का एक मात्र वर्षों दराज पुराना रास्ता आराजी खसरा नम्बर 2277 में होकर निकल राहा है जो उत्तर से दक्षिण दिशा में आते हुए प्रार्थी के खेत आराजी खसरा नम्बर 2274 में जाता है । विगत कई दिनों से उक्त आराजी खसरा नम्बर 2276 एवं 2275 के दोनों खातेदार जबरन अवैधानिक एवं अनाधिकृत रूप से जबरन खसरा नम्बर 2277 में होकर निकल रहे रास्ते को बन्द करने पर आमदा है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः दोनों खातेदारों का पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 2274 पर जाने से नहीं रोकें यदि खसरा नम्बर 2275 में यदि थोडा बहुत रास्ता कम है तो उसके लिए प्रार्थी उचित दर से मुआवजा राशि जमा कराने को भी तैयार है ।

4. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा ने अपने निर्णय दिनांक 14.06.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए डीएलसी दर का दोगुना राशि जमा कराने की शर्त पर रास्ते में कुल 04 बिस्वा भूमि उपयोग में लेने तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.06.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नही थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.08.2016 को पटवारी हल्का द्वारा बतलाने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट क्रम 1 जो कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2275 का खातेदार है तथा अपीलान्ट क्रम 2 जो कि आराजी खसरा नम्बर 2276 का सहकृषक है तथा काबिज काश्त होने के बावजूद भी अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही उन्हें तलब किये बिना ही तथा सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व खातेदारान अपीलान्ट की सहमति नहीं ली है, सहमति के अभाव में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं होकर निरस्तनीय था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे बसूरत दीगर अपीलान्ट को सुनवाई व जवाबदेही तथा साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर सुनवाई किये जाने प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट को नियमानुसार डीएलसी दर का दोगुना राशि जमा कराने की शर्त पर रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का निर्णय पारित किया है जिसमें

किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है हमने उसका अवलोकन किया । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र जिस प्रकार से लिखा गया है उससे यह धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुखाधिकार का प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें रेस्पोडेंट प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में रास्ता उपलब्ध होना कथन किया है और उसे बन्द करने का कथन करते हुए उक्त रास्ते को खुलासे की प्रार्थना की है । इस तरह का अनुतोष सुधाचार के अन्तर्गत तहसीलदार से अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं । धारा 251ए में उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में रास्ता कायम किया जा सकता, जब कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो और इसके लिए उपखण्ड अधिकारी को समुचित रूप से जांच यथा तहसीलदार की रिपोर्ट आदि प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित हो कि कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया है जबकि ऐसे प्रकरण में पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करनी होती है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 02.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा